

रूप क्रमांक २
(संलग्न नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन



समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक ^{सं. प्र. अ. १०} १.६६५७११

यह प्रमाणित किया जाता है कि चौदाग एज्युकेशन सोसाइटी
समिति जो ५६/६ ता. उ. प्र. श्रीरंगपुर
मो. पा. उ., तहसील डुकर,
जिला मो. पा. उ. में स्थित है, मध्यप्रदेश
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४)
के अधीन ३.१.८.७१ को पंजीयित की गई है।

दिनांक इकतीस माह फरवरी सन् १९८० ११

मुद्रा

१-११/११/८०

समितियों के रजिस्ट्रार

[Signature]
२०१८

संशोधित

1. समिति का नाम : चौहान एज्युकेशन सोसायटी होगा।
2. संस्था का कार्यालय : डी-288, नेहरू नगर, कोटरा सुल्तानाबाद तह. हुजुर जिला भोपाल म.प्र. स्थित होगा।
3. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे -
 - (1) शिक्षा का प्रसार-प्रधर करना।
 - (2) अर्थिक रूप से पिछड़े एवं अनुजाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना।
 - (3) महिला एवं बाल विकास कल्याण का कार्यक्रम।
 - (4) पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु वृक्षारोपण का कार्य एवं उपयोगी शिक्षा देना।
 - (5) इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान कर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रशिक्षण।
 - (6) जलकीय नीतियों को शिथिल करने में सहायता पहुंचाना।
 - (7) विज्ञान विषय में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना।
 - (8) रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम का संचालन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
 - (9) सह-चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण करना।
 - (10) अन्य संख्याक वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना।
 - (11) झुग्गी, बस्ती में नि:शुल्क औषधि बांटने के लिए कैन्य लगाना।
 - (12) खेलों को बढ़ावा देने एवं खेल-कूद के प्रति जन जागृति करने का प्रयास करना।
 - (13) खेलों को बढ़ाने हेतु इंडोर स्टेडियम का निर्माण करना तथा उनका संचालन करना।
 - (14) सार्वजनिक खेलों जैसे स्विनिंग, घुसवारी आदि के लिए आवश्यक स्विनिंग पूल तथा आउट डोर स्टेडियम का निर्माण करना तथा संचालन करना।
 - (15) समिति म.प्र. भारत तथा विदेशों से जहां भी आवश्यक हो रोजगारोन्मुखी शोध तथा प्रशिक्षण, चिकित्सा प्रौद्योगिक भारतीय विविक्त पद्धति, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, सम्मान शास्त्र, कला भाषा विज्ञान आदि विषय के पठन-पाठन का स्थापना, संचालन, सहायता करेगा। उपरोक्त उद्देश्यों के संचालन हेतु विभिन्न सक्षिप्त, काउंसिल, प्राधिकृत संस्थान, सरकारी विभाग एवं मंत्रालयों आदि से शिक्षा के पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक शिक्षण पद्धतियों सस्कृति संबंधित परिषदों आदि से आवश्यकता संबद्धता और मान्यता प्राप्त करने हेतु भी आवश्यक कार्यवाही का सकेगी।
 - (16) समिति मध्यप्रदेश, भारत तथा तत्पूर्ण विश्व में समाज के विभिन्न समुदाय, व्यक्ति, जनजाति आदि के मदद तथा कार्यो को करने हेतु समुदायिक भवन, हाल, शादी कराने का भवन, धर्मशाला कुजुर्गों के लिए रिहायती मकान, व्यक्त शिक्षा, रात्रि विश्राम घर, स्टेडियम, व्यायाम शाला, खेल प्रशिक्षण केंद्र, पुस्तकालय, पढ़ने का कक्ष, संगीत नृत्य, तथा सांस्कृतिक संगणता एवं किसी भी प्रकार का संस्थान की स्थापना, संचालन संचालन, राजशासत सहायता मदद करना होगा। जिसने की जन समुदाय की उन्नति तथा उत्थान हो सके।
 - (17) शैक्षणिक, कला, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियां जिसके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों दहेज प्रथा, बाल विवाह, रूपा मजदूरी, भीन्व, नशा के विरुद्ध जन आंदोलन तथा जन जागृति अभियान चलावेगी।
 - (18) समिति समस्त जाति, धर्म, वर्गीयता विरावाओं, बृद्ध स्त्री-पुरुष गरीबों तथा समाज से विरक्त मनुष्यों के पुनरुत्थान एवं जीवन चयन हेतु प्रशिक्षण के लिए समस्त कार्य करेगी।



Sandeep
संस्थापक चौहान
अध्यक्ष
चौहान एज्युकेशन सोसायटी
भोपाल

Syed Sajid Ali
सचिव
Secretary
Chouhan Education Society
Bhopal

Ashu
कोषाध्यक्ष

- (19) समिति किसी भी प्रकार के अनुसूचित विपदाओं (भूकम्प, तूफान, आधी तुनामी, सूखा, महामारी, आमजनी, हवाई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, समुद्री दुर्घटना में पीड़ितों को स्थाई/अस्थायी सहायता प्रदान करेगी। उक्त सहायता आर्थिक, चिकित्सीय खर्च, कपड़े आवास के रूप में प्रदान करने का प्रयास करेगी।
- (20) समिति किसी भी शिक्षाविद जननायक या अन्य किसी भी विषय विशेषज्ञ या साधारण व्यक्ति को जो कि सामाजिक कुरुतियों, सामाजिक न्याय, संप्रदायिक समन्वय, भद्रचार, सोहादपूर्ण बानावरण आर्थिक उत्थान, संवैधानिक अधिकार आदि में विशेष ज्ञान रखता है को आमंत्रित कर उपरोक्त कार्य हेतु कार्यशाला, व्याख्यान, वादविवाद, संमंषण, प्रयोगशाला का आयोजन तथा संचालन करेगी।
- (21) समिति खेलकूद, शारीरिक दक्षता हेतु सभी स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता, स्थलेटिक प्रतियोगिता, खेल, मैच, प्रतियोगिता का आयोजन कर सकेगी, उक्त आयोजन तथा उसके बढ़ाना हेतु समिति, उपकरण, यंत्र, खेल का मैदान, स्टेडियम व्यायाम शाला, योग केंद्र, आडिटोरियम का निर्माण तथा रखरखाव करेगी। समिति उक्त खेलकूद प्रतियोगिता का तालुक जिला राज्य, राष्ट्र अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन कर सकेगी।
- (22) समिति शारीरिक रूप से निराश्रित, नेत्रहीन, बूढ़े, गंभे, गरीब अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्य, पिछड़े तथा अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े तथा अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, रोजगार, आवास, चिकित्सीय सुविधा, वस्त्र आवागमन अथवा स्वायत्तम्बन हेतु शिक्षण तथा प्रशिक्षण हेतु कार्य करेगी तथा औद्योगिक संस्थान की स्थापना, संचालन तथा संपादन का कार्य करेगी।
- (23) समिति मध्यप्रदेश तथा पूरे देश में कैंसर एण्ड हेपेटाईटिस बी तथा अन्य जानलेवा बीमारी के जॉंध, इलाज, शोध केंद्र तथा संस्थान खोलेगी। समिति नेत्रदान, रक्त दान, गुर्दादान अथवा किराये भी प्रकार के अंगों को दान करने हेतु प्रोत्साहित करने जन आन्दोलन हेतु कार्य करेगी। उक्त बीमारी अथवा अंगदान को प्रोत्साहित करने हेतु टी.वी. सिनेमा तथा प्रसार माध्यम से जनप्रसार का कार्य करेगी।
- (24) समिति जन-जन में प्राकृतिक, वातावरण, साफ नफाई, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य अथवा व्यक्तिगत तफाई के बढ़ावा हेतु श्रुत्य-दृश्य, दूरदर्शन, धारावाहिक कार्यक्रम, सिनेमा आदि का निर्माण करेगी।
- (25) बंजर तथा बेकार जमीनों का समूह व्यवहारिक उपयोगिता हेतु विभिन्न माध्यमों से कार्य करेगी।
- (26) समिति जनहित के कार्य हेतु जिस प्रकार से उचित समझे उपयुक्त न्यायालय, शासकीय अर्द्धशासकीय, निजी प्राधिकरण अथवा संस्थान कार्यवाही कर सकेगी।
- (27) समिति किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय गैर शासकीय सदस्यो स्वायत्तायिक धरणों अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों बैंक वित्तीय संस्थानों तथा किसी भी अन्य विधिक वैक्तिक से दान अनुदान चरण पुरस्कार जो किसी भी चल अचल सम्पत्ति के रूप में समिति को उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु चाहिये प्राप्त कर सकती है।
- (28) समिति को उद्देश्यों अथवा कर्मों को पूर्ण करने हेतु समिति किसी भी प्रकार की जमीन, चल/अचल सम्पत्ति के रूप में प्राप्त कर सकती है। समिति किसी भी रूप में सम्पत्ति को विक्री, भाईगेज, तबादला, उन्नत सुधार, संचालन, संपादन, रखरखाव कर सकेगी।
- (29) समिति किसी भी प्रकार का पुस्तक, चार्ट मैगजीन, जर्नल पाखिक, समाचार पत्र तथा अन्य प्रकाशन एड्युगेशन, अंग्रेजी तथा किसी भी भाषा में कर सकेगी।
- (30) समिति अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों व्यक्तियों को स्थाई/अस्थायी सेवा प्रदान कर सकेगी। ऐसी स्थिति में समिति अपने कर्मचारी का निर्धारित वेतन भत्ता, भविष्य निधि, जीवन भविष्य निधि, कल्याण निधि जो कि कि कर्मचारी तथा उनके उपर आश्रित परिवार के व्यक्तियों का प्रदान कर सकेगी।
- (31) समिति अपने उद्देश्यों के प्रतिपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का कार्य / कार्यक्रम / समारोह कर सकेगी जिससे की समिति के उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने में योगदान प्राप्त हो सके।
- (32) समिति के समस्त प्रकर के आय, स्रोत चल /अचल सम्पत्ति आदि फंडस समिति के उपरोक्त लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है।



Sandeep

अध्यक्ष

सदीप चौहान

अध्यक्ष

सोहाद एजुकेशन सोसायटी
भोपाल

Me

सचिव

Syed Sajid Ali

Secretary

Chouhan Education Society
Bhopal

Ashu

कोषाध्यक्ष

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कर्मों का प्रबंध शासक परिषद तथा या शासकीय निकाय को सौंपा गया है जिनके पते ए धर्मों का उल्लेख निम्नांकित है :-

क्र.	नाम	पद	पूर्ण पता	धर्या
1.	श्री संदीप चौहान	अध्यक्ष	डी-288, नेहरू नगर कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल म.प्र.	व्यवसाय
2.	श्री संजय चौहान	उपाध्यक्ष	3374 बसंत कुंज नई दिल्ली	सम्पादक
3.	कु. चंदना चौहान	सचिव	बी/125, शास्त्री नगर, भोपाल	गृहणी
4.	श्री प्रभात शर्मा	कोषाध्यक्ष	45/31 साउथ टी.टी. नगर भोपाल	व्यवसाय
5.	श्री संतोष रायकवार	संयुक्त सचिव	46/31 साउथ टी.टी. नगर भोपाल	डॉक्टर
6.	श्री अजय गुप्ता	सदस्य	63, गुर्जरपुरा, भोपाल	व्यवसाय

5. इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसाकि म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, (1973 का 44) की धारा 5 की उप धारा (1) के अधीन अपेक्षित है संलग्न है।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं, तथा ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्र.	नाम	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री संदीप चौहान	डी-288, नेहरू नगर कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल म.प्र.	Sd/-
2.	श्री संजय चौहान	3374 बसंत कुंज नई दिल्ली	Sd/-
3.	कु. चंदना चौहान	बी/125, शास्त्री नगर, भोपाल	Sd./
4.	श्री प्रभात शर्मा	45/31 साउथ टी.टी. नगर भोपाल	Sd./
5.	श्री संतोष रायकवार	46/31 साउथ टी.टी. नगर भोपाल	Sd./
6.	श्री अजय गुप्ता	63, गुर्जरपुरा, भोपाल	Sd./
7.	श्री आशुतोष अकरवी	74/17 साउथ टी.टी. नगर भोपाल	Sd./



हस्ताक्षर : 240
 दिनांक : 2-5
 यह पत्र समाज के सभी सदस्यों के लिए है।
 सभी सदस्यों को कृपया ज्ञापन पत्र पढ़ें।

संजय चौहान
 अध्यक्ष

साक्षी

हस्ताक्षर : Sd./-
 नाम : रामा सिंह चौहान
 पूरा पता : जू. एम.आई.जी.- 941
 कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल

Sandeep
 अध्यक्ष

Syed Sajid Ali
 Secretary
 Chauhan Education Society
 Bhopal

Ashu
 कोषाध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

₹.5

RS:5

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

क्र. 645/91

01AA 958307



दिनांक

Handwritten signature and official stamp of the Madhya Pradesh Government, including the text 'मध्य प्रदेश सरकार' (Madhya Pradesh Government).

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु.5

Rs.5



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

01AA 958308



Handwritten signature

Handwritten signature
मध्य प्रदेश गैर न्यायिक
महानगर मुद्रा . १९९९

1. समिति का नाम चौहान एज्युकेशन सोसायटी होगा।
2. संस्था का कार्यालय डी-288, नेहरू नगर, कोटा सुल्तानाबाद तह. हुजुर जिला भोपाल म.प्र. स्थित होगा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा।
4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे -
 - (1) शिक्षा का प्रसार प्रचार करना।
 - (2) आर्थिक रूप से पिछड़े एवं अनुजाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना।
 - (3) महिला एवं बाल विकास कल्याण का कार्यक्रम।
 - (4) पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु वृक्षारोपण का कार्य एवं उपयोगी शिक्षा देना।
 - (5) इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान कर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त शिक्षा प्रशिक्षण।
 - (6) शासकीय नीतियों को क्रियान्वित करने में सहायता पहुंचाना।
 - (7) विज्ञान विषय में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना।
 - (8) रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम का संचालन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।
 - (9) सह-चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण करना।
 - (10) अल्प संख्यक वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना।
 - (11) झुग्गी, बस्ती में नि:शुल्क औषधि बांटने के लिए केंद्र लगाना।
 - (12) खेलों को बढ़ावा देने एवं खेल-कूद के प्रति जन जागृति करने का प्रयास करना।
 - (13) खेलों को बढ़ाने हेतु इंदोर स्टेडियम का निर्माण करना तथा उनका संचालन करना।
 - (14) संस्था खेलों जैसे स्विमिंग, घुड़सवारी आदि के लिए आवश्यक स्विमिंग पूल तथा आउट डोर स्टेडियम का निर्माण करना तथा संचालन करना।
 - (15) समिति म.प्र. भारत तथा विदेशों में जहां भी आवश्यक हो रोजगारोन्मुखी ज्ञान तथा प्रशिक्षण, चिकित्सा प्रौद्योगिक भारतीय चिकित्सा पद्धति, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, समाज शास्त्र, कला भाष्य विज्ञान आदि विषय के पठन-पाठन का स्थापना, संचालन, सहायता करेगा। उपरोक्त उद्देश्यों के संपादन हेतु विभिन्न संक्षिप्त, काउन्सिल, प्राधिकृत संस्थान, सरकारी विभाग एवं मंत्रालयों आदि से शिक्षा के पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक शिक्षण पद्धतियों से संबंधित परिषदों आदि से आवश्यकता संबद्धता और मान्यता प्राप्त करने हेतु भी आवश्यक कार्यवाही कर सकेगी।
 - (16) समिति मध्यप्रदेश, भारत तथा संपूर्ण विश्व में समाज के विभिन्न समुदाय, व्यक्ति, जनजाति आदि को मदद तथा सहायों को करने हेतु समुदायिक भवन, हाल, शादी कराने का भवन, धर्मशाला बुजुर्गों के लिए रिहायशी मकान, व्यस्क शिक्षा, रात्रि विश्राम घर, स्टेडियम, व्यायाम शाला, खेल प्रशिक्षण केंद्र, पुस्तकालय, पढ़ने का कक्ष, संगीत नृत्य, तथा सांस्कृतिक रंगशाला एवं किसी भी प्रकार का संस्थान की स्थापना, संचालन संपादन, राजशाल सहायता मदद करना होगा। जिससे की जन समुदाय की उन्नति तथा उत्थान हो सके।
 - (17) शैक्षणिक, कला, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियां जिसके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों दहेज प्रथा, बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी, भीख, नशा के विकृत जन अंदोलन तथा जन जागृति अभियान चलायेगी।
 - (18) समिति समस्त जाति, धर्म, राष्ट्रीयता विख्याओं, वृद्ध स्त्री-पुरुष मरीचों तथा समाज से विरक्त मनुष्यों के पुनरुत्थान एवं जीवन ध्यान हेतु प्रशिक्षण के लिए समस्त कार्य करेगी।

Saundarp
संस्थापक चौहान

अध्यक्ष
चौहान एज्युकेशन सोसायटी
भोपाल

M
सचिव

Syed Sajid Ali
Secretary
Chouhan Education Society
Bhopal

Ashu
कोषाध्यक्ष

- (19) समिति किसी भी प्रकार के अप्रुव प्रति विषयों (भूकम्प, तूफान, आधी सुनामी, सुख, महामारी, आगजनी, इवाई दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, समुद्री दुर्घटना में पीड़ितों को स्थाई/अस्थायी सहायता प्रदान करेगी। उक्त सहायता आर्थिक, चिकित्सीय खर्च, कपड़े आवास के रूप में प्रदान करने का प्रयास करेगी।
- (20) समिति किसी भी शिक्षाविद जननसक या अन्य किसी भी विषय विशेषज्ञ या लाभारण व्यक्ति को जो कि सामाजिक कृषितियों, सामाजिक न्याय, सप्रदायिक समन्वय, भाइचार, सौहादपूर्ण वातावरण आर्थिक उत्थान, सवैधानिक अधिकार आदि में विशेष ज्ञान रखता है को आमंत्रित कर उपरोक्त कार्य हेतु कार्यशला, व्याख्यान, वादविवाद, संग्रण, प्रयोगशाला का आयोजन तथा संचालन करेगी।
- (21) समिति खेलकूद, शारीरिक दक्षता हेतु सभी स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता, स्थलेटिक प्रतियोगिता, खेल, मैच, प्रतियोगिता का आयोजन कर सकेगी, उक्त आयोजन तथा उसके बढ़ाना हेतु समिति, उपकरण, पत्र, खेल क्ल मैदान, स्टेडियम व्यायाम शाला, खेल केन्द्र, आर्टीटेरियम का निर्माण तथा रखरखाव करेगी। समिति उक्त खेलकूद प्रतियोगिता का तातुक जिला राज्य, राष्ट्र अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन कर सकेगी।
- (22) समिति शारीरिक रूप से निशक्त, नेत्रहीन, बहरे, मंगे, मरीब अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्य, पिछड़े तथा अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े तथा अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, रोजगार, आवास, चिकित्सीय सुविधा, वस्त्र आवागमन अथवा स्वावलम्बन हेतु शिक्षण तथा प्रशिक्षण हेतु कार्य करेगी तथा शैक्षणिक संस्थान की स्थापना, संचालन तथा सहायन का कार्य करेगी।
- (23) समिति माध्यमदेश तथा पूरे देश में कौमर एण्ड हेपेटाईटिस की तथा अन्य जानलेवा बीमारी के जोंघ, इलाज, शोध केन्द्र तथा संस्थान खोलेगी। समिति भेदान, रक्त दान, गुर्दान अथवा किसी भी प्रकार के अंगों को दान करने हेतु प्रोत्साहित करने जन आन्दोलन हेतु कार्य करेगी। उक्त बीमारी अथवा अंगदान को प्रोत्साहित करने हेतु टी.वी. सिनेमा तथा प्रसार माध्यम से जनप्रसार का कार्य करेगी।
- (24) समिति जन-जन में प्राकृतिक, वातावरण, साफ सफाई, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य अथवा व्यक्तिगत सफाई के बढ़ावा हेतु भूम्य-दृश्य, दूरदर्शन, धारावाहिक कार्यक्रम, सिनेमा आदि का निर्माण करेगी।
- (25) बंजर तथा बेफार जमीनों का समूह व्यवहारिक उपयोगिता हेतु विभिन्न माध्यमों से कार्य करेगी।
- (26) समिति जनहित के कार्य हेतु जिस प्रकार से उचित समझे उपयुक्त न्यायतप, शासकीय अर्द्धशासकीय, निजी प्राधिकरण अथवा संस्थान कार्यवाही कर सकेगी।
- (27) समिति किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय गैर शासकीय सदस्यों व्यावसायिक घरानों अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों बैंक वित्तीय संस्थानों तथा किसी भी अन्य विधिक वैश्विक से दान अनुदान चण पुरस्कार जो किसी भी चल अचल सम्पत्ति के रूप में समिति को उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु चाहिये प्राप्त कर सकती है।
- (28) समिति को उद्देश्यों अथवा कार्यों को पूर्ण करने हेतु समिति किसी भी प्रकार की जमीन, चल/अचल संपत्ति के रूप में प्राप्त कर सकती है। समिति किसी भी रूप में संपत्ति को बिक्री, मार्केज, लकवता, उन्नत सुधार, संचालन, सहायन, रखरखाव कर सकेगी।
- (29) समिति किसी भी प्रकार का पुस्तक, चार्ट नैगजीन, जर्नल पाक्षिक, समाचार पत्र तथा अन्य प्रकाशन राष्ट्रगान, अंग्रेजी तथा किसी भी भाषा में कर सकेगी।
- (30) समिति अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों व्यक्तियों को स्थाई/अस्थायी सेवा प्रदान कर सकेगी। ऐसी स्थिति में समिति अपने कर्मचारी का निर्धारित वेतन भत्ता, भविष्य निधि, जीवन भविष्य निधि, कल्याण निधि जो कि कर्मचारी तथा उनके उपर आश्रित परिवार को व्यक्तियों का प्रदान कर सकेगी।
- (31) समिति अपने उद्देश्यों के प्रतिपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का कार्य / कार्यक्रम / समारोह कर सकेगी जिससे की समिति को उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने में योगदान प्राप्त हो सके।
- (32) समिति के समस्त प्रकार के आय, स्वतः चल /अचल संपत्ति आदि केवल समिति के उपरोक्त विहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है।



Sandhu
अध्यक्ष

संघीय सचिव
अध्यक्ष

वीहम एजुकेशन सोसायटी
गोपाल

Syed Sajid Ali
सचिव

Syed Sajid Ali
Secretary

Chouhan Education Society
Bhopal

Ashu
कोषाध्यक्ष

5. सदस्यता :- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे।
- (अ) संरक्षण सदस्य :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रुपये 2500 अधिक एक मुश्त या एक साल में चारह किशतों में दशा वह समिति का संरक्षण सदस्य होगा।
- (ब) आजीवन सदस्य - जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रुपये 1000 अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 1500 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।
- (स) साधारण सदस्य - जो व्यक्ति रुपये 50 प्रतिमाह या रुपये 600 प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में दोनो वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य खेवत उती अवधि के लिये सदस्य होगा। जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छह माह तक देय चंदा नहीं देगा वह उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।
- (द) सम्मानित सदस्य - संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है। परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।
6. सदस्यता की प्राप्ति - प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति कर सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसे आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने का अमान्य करने का अधिकार होगा।
7. सदस्यों की योग्यता - संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-

- (1) आयु 18 वर्ष से कम न हो (2) भारतीय नागरिक हो (3) समिति के नियमों के शासन की प्रतिज्ञा को हो (4) बटचरित्र हो मद्यपान न करता हो।

सदस्यता की समाप्ति - संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी।

- (1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था का देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर (4) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर (5) बख्त्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निवात दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित हो जाने की सूचना सदस्य की लिखित रूप में देना होगी।

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजीय रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यारे दर्ज किये जावेगे।

- (1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय
(2) वह तारीख जिसको सदस्यों की प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुयी हो।

- 10.(अ) साधारण सभा :- साधारण में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को ही जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आमसभा

Sandeep
अध्यक्ष

संदीप चौहान

अध्यक्ष

चौहान एजुकेशन सोसायटी
भोपाल

सत्रिय

Syed Sajid Ali
Secretary

Chouhan Education Society
Bhopal

Arshi
कोषाध्यक्ष

6

पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उनसे संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी भी समय नहीं दिया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्ग दर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा - प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जानी होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होगा तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष - यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर उनके द्वारा विषय पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 4 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा सभित के परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य - (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना। (ख) संस्था की स्थायी निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना। (ग) महिलाओं को नियुक्त करना। (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो। (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रों को स्वीकृत करना। (छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबंधकारिणी का गठन-ट्रस्टीज यदि कोई भी समिति के पदेन सदस्य रहेगे। नियम 5 (ब,ब,स) में उल्लिखित गये सदस्यों जिन के नाम पूंजी रजिस्ट्रार में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य-2

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल - प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। समिति का पथेष्टा कारण होने पर उस समय तब जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी परन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसकी अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा।

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य -

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इत आराय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
- (ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।



Sandep
अध्यक्ष

Chouhan Education Society
कोषाध्यक्ष

सचिव
Syed Sajid Ali
Secretary

Chouhan Education Society

Adnan
कोषाध्यक्ष

- (स) मिति एवं उसके अंतर्गत संशोधित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
- (द) कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
- (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौंपे जाये।
- (घ) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
- (उ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा वर्णित या अंतरित नहीं की जायेगी।
- (ज) विशेष बैठक आगवित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उनकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुछ सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयन के अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

15. अध्यक्ष के अधिकार - अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में कार्यकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णय मान होगा।
16. उपाध्यक्ष के अधिकार - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17. सचिव (मंत्री) के अधिकार - (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करेगा। (2) समिति का आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। (3) समिति के बारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उसका अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। (4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 1000 करने का अधिकार होगा।
18. सचिव की अनुपस्थिति में सह-सचिव कार्य करेगा।
19. कोषाध्यक्ष के अधिकार - समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
20. बैंक खाता - संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 1000 रहेंगे।
21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी - अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था को वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगा।



Saidur
अध्यक्ष
संस्था के अध्यक्ष
अध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
सचिव

सचिव
Syed Sajid Ali
Secretary
Chouhan Education Society
Bhopal

कोषाध्यक्ष

22. संशोधन - संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मत से पारित होगा यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
23. विघटन - संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मतों से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी संभाग उद्देश्यों वाली संस्था का सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्रवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
24. सम्पत्ति - संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाओं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा धन द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
25. बैंक खाता - संस्था की समस्त निधि किसी अनुमूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
26. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना - संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाई जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

विवाद - संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा यदि इत निश्चित या निर्णय के पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगा। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं में विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।



प्रमाणित पाठ
 24/11/2023
 रजिस्ट्रार
 या पृष्ठ संख्या 48
 जारी होने की तिथि 4/11/2023
 अध्यक्ष
 एवं पंजीयक, संस्था

Sandeep
 अध्यक्ष
 सदीप चौहान
 अध्यक्ष
 चौहान एजुकेशन सोसायटी
 भोपाल

Syed Sajid Ali
 Secretary
 Chauhan Education Society
 Bhopal

Ashu
 कोषाध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

₹.5

RS.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

01AA 958305



Handwritten signature
1-12-17

Handwritten signature
अध्यापक वकील
कानून संस्थान, म.प्र.
1/12/17

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES



रु.5



RS:5



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

01AA 958306



Handwritten signature

Handwritten signature
उपरी का बरखापु, व.प्र.

प्रारूप सात (नियम 11 देखिये)

1248/23

रजिस्ट्रार, फर्म्स एव सोसायटी को मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देशन पत्र (प्रोफार्मा)

07/08/2023

1. संस्था का नाम व पूरा पता — चौहान एजुकेशन सोसायटी
64, अमलतास कालोनी, फेस-2, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)
2. पंजीयन क्रमांक एव दिनांक — 665/91 दिनांक 31.08.1991
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख — 10/07/2023

विद्यमान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख 10.07.2023 से 11.07.2026 तक



पिता/पति का नाम	पूर्ण पता	पद का नाम	व्यवसाय	मोबाईल नं.	हस्ताक्षर
श्री चौहान पुत्र स्व श्री रामपाल सिंह	64, अमलतास कालोनी, फेस-2 चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल	अध्यक्ष	व्यवसाय	9826065507	Sandey
श्रीमती लतिका चौहान पत्नि श्री संदीप चौहान	64, अमलतास कालोनी, फेस-2 चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल	उपाध्यक्ष	एडवोकेट	9826038006	Latika
श्री सै. साजिद अली पुत्र स्व श्री साहिब अली	ई-8/42, भरत नगर, भोपाल	सचिव	एडवोकेट	9826862436	S.S.
श्रीमती फौजिया अली पत्नि सै. साजिद अली	ई-8/42, भरत नगर, भोपाल	सह-सचिव	व्यवसाय	9425007192	F.A.
श्री आशुतोष अवस्थी पुत्र श्री आर.पी. अवस्थी	20, भूत्रपति शिवाजी कालोनी, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल	कोषाध्यक्ष	एडवोकेट	9893388446	Ashu
कु देवयानी चौहान पुत्री श्री संदीप चौहान	64, अमलतास कालोनी, फेस-2 चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल	सदस्य	व्यवसाय	9425008001	Devi
श्री सै. मोहसिन अली पुत्र श्री सै. साजिद अली	ई-8/42, भरत नगर, भोपाल	सदस्य	व्यवसाय	7987887988	M.A.

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की संलग्न धारा-27 के अधीन सूची वार्षिक फीस रुपये
/ - चालान क्रमांक ...051/99999/0020/ दिनांक 07/08/23 द्वारा जमा कर दी गई है। चालान की मूलप्रति संलग्न है।
08/23/006051

// घोषणा //

मैं, श्री संदीप चौहान पुत्र स्व. श्री रामपाल सिंह चौहान आयु 59 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि, उपयुक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझे अधोहस्ताक्षरयुक्त प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी रहूंगा। मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है और मैं यह जानता हूँ कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन दण्डनीय होगा।

Sandey

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संदीप चौहान)
की धारा 27 के तहत प्रतिनिधि अध्यक्ष
चौहान एजुकेशन सोसायटी, भोपाल
मोबा. 9826065507
ई-मेल chairmanrgc@rediffmail.com

(संजय सोठा)
असि रजिस्ट्रार
फर्म्स एव संस्थाएँ

भोपाल नरीन्द्रपुरा संभाग, भोपाल (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA


INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BS 232982



संस्था मैडान एडुकेशन सोसायटी भोपाल पंजीयन क्रमांक 665 दिनांक 31/8/91 के नाम से दिनांक 7/8/23 को प्रस्तुत मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत दिनांक 7/8/23 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की विधानसभा के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी हैं। कागजातों द्वारा धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि मात्र जमा की जा सकती है। धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदधिकारियों को प्रस्तुत करने के संबंध में प्रमाण-पत्र आवेदन नहीं है।


असि. रजिस्ट्रार
फोर्स, एच. संस्थान
भोपाल-नर्मदापुरम संभाग, भोपाल